सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री शारदा सिंह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0) छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 05/2016 दिनांक 18.02.2016

श्री जनक लाल श्रीवास्तव
श्याम नगर कालोनी,
तिल्दा, पो0– नेवरा
जिला– रायपुर (छ0ग0) अपीलार्थी

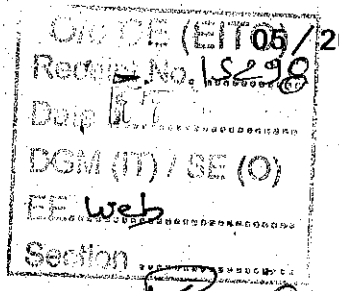

11/3 11/3

विरूद्ध

श्री एस. आर. बांधेय
जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,डंगनिया–रायपुर प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 05.03.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील जनसूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत दिनांक 15.02.2016 को प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 05/2016 दिनांक 18.02.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 26.09.2015 एंव 23.10.2015 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्रीमति आभा श्रीवास्तव (दिनांक 15.10.2008 से परिवार पेंशन भोक्ता, विधवा एवं निसंतान) द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अवर सचिव छ. ग. शासन ऊर्जा विभाग को भेजे गये आवेदन पत्रों के साथ साथ ऊर्जा विभाग के पत्रों दिनांक 19.11.2009, 21.12.2009, 23.02.2010, एवं 07.04.2010 जो उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो को भेजे गये थे, कि छायाप्रति प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में जनसूचना अधिकारी के द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् जानकारी प्रदाय नही की जा सकती क्योकि उक्त जानकारी परव्यक्ति तृतीय पक्ष से संबंधित गोपनीय सूचना है, जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नही रखता है। जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति कें बिना देने की बाध्यता नहीं है, जिससे सहमत नही हूँ। विदित हो की पूर्व में सूचना का अधिकार के अंतर्गत श्रीमति आभा श्रीवास्तव से संबंधित अनेकानेक मांगी गई जानकारियॉ एवं दस्तावेज की छायाप्रति विभाग द्वारा पूर्व में प्रदान की जा चुकी है। अतः मुझे वांछित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए, सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ. 16–17/दिनांक 29.02.2016 के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 05.03.2016** को सांय 4:00 बजे व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्रमांक जी–9 में उपस्थित होकर प्रकरणपर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव के द्वारा दी गई पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया था। उक्त श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर एवं अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव उपस्थित हुए। तदपश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 05.03.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0 रा0 वि0 हो0 कं0 मर्या0 रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री जनक लाल श्रीवास्तव द्वारा छ. ग. शासन ऊर्जा विभाग, द्वारा उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दों को भेजे गये पत्र दिनांक 19.11.2009, 21.12. 2009, 23.02.2010, एवं 07.04.2010 के साथ श्रीमति आभा श्रीवास्तव द्वारा ऊर्जा विभाग, को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु भेजे गये आवेदन पत्रों की छायाप्रति चाही गई है।

उक्त वांछित जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) –छः छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 3502 दिनांक 28.10.2015 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा कार्यालयीन यू. ओ. नोट क्रमांक 1113 दिनांक 18.11.2015 के माध्यम से अवगत कराया गया कि " सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी/दस्तावेज उक्त पक्ष की सहमति के बिना दिया जाना बाध्यकारी नही है। इस संबंध में संबंधित तृतीय पक्ष द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने में असहमति व्यक्त की है, अतः चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नही है।

उपरोक्त के तारतम्य में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी/दस्तावेज उनकी सहमति के बिना दिया जाना बाध्यकारी नही है। विषयांतर्गत श्रीमति आभा श्रीवास्तव के द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी तृतीय पक्ष **(Third Party)** को प्रदान किये जाने हेतु असहमति प्रदान की है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् चाही गई जानकारी प्रदान नही की जा सकती है। क्योकि उक्त जानकारी परव्यक्ति तृतीय पक्ष से संबंधित गोपनीय सूचना है, जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नही रखता है। जिसकी सूचना आवेदक श्री जनक लाल श्रीवास्तव को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 3709 दिनांक 23.11.2015 के माध्यम से दी गई।**

(5) निर्धारित प्रथम अपील सुनवाई तिथि 05.03.2016 को अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव एवं प्रतिअपीलार्थी श्री एस. आर. बांधेय, जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. तथा श्री पंकज सिंह परमार सहायक प्रबंधक (मा0सं0) होल्डिंग उपस्थित हुए। प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, इसमें यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, बशर्ते वह अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

उक्त तिथि को दोनों के तर्क श्रवण किये गये। एवं प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिससे यह ज्ञात होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव के द्वारा छ. ग. शासन ऊर्जा विभाग, द्वारा उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो

भेजे गये पत्र दिनांक 19.11.2009, 21.12.2009, 23.02.2010, एवं 07.04.2010 के साथ श्रीमति आभा श्रीवास्तव द्वारा ऊर्जा विभाग, को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु भेजे गये आवेदन पत्रों की छायाप्रति चाही गई है। जो व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत व्यक्तिगत जानकारी/दस्तावेज की प्रति तृतीय पक्ष को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व संबंधित पक्ष से सहमति/असहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि" **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)–(ज) एवं 11 (1) के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नही है। इसमें यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नही है, जब तक उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से न हो या जिसमें लोकहित सन्निहित न हो।**"

प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव को प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर उल्लेखित तथ्यों के अंतर्गत वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना परिलक्षित होता है, जो सही व उचित प्रतीत होता है। अतः पैरा कमांक 04 में प्रतिअपीलार्थी द्वारा की गई कार्यवाही नियम के अनुरूप सही है, जो स्वीकार योग्य है। उक्त सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव का तर्क कि उनके द्वारा वांछित जानकारी किस नियम के अनुरूप गोपनीय एवं तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी है, एंव तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नहीं है, जो समझ से परे है। अतः मै प्रथम अपीलीय अधिकारी को अवगत कराना चाहुंगा कि तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा मुझे श्रीमति आभा श्रीवास्तव के संबंध में अनेकों जानकारी सूचना का अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई है। अतएव मेरे द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत् जनसूचना अधिकारी को निदर्शित करने का कष्ट करे।

अपीलार्थी के उक्त तर्क के संबंध में सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह परमार के द्वारा अपना तर्क रखते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत **धारा 8(1)–(ज) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नहीं है।**" उक्त अधिनियम में निहित तथ्यों के अंतर्गत श्रीमति आभा श्रीवास्तव से सहमति/असहमति संबंधी संज्ञान लिया गया। जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमति आभा श्रीवास्तव द्वारा वांछित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में आवेदन दिनांक 05.11.2015 के माध्यम से स्वंय की जानकारी किसी तृतीय पक्ष को प्रदान किये जाने के संदर्भ में असहमति व्यक्त की गई। उपरोक्त परिस्थितिवश वांछित जानकारी आवेदक को उपलब्ध नही करायी गई है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव द्वारा श्रीमति आभा श्रीवास्तव से प्राप्त असहमति अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। एवं धारा 8(1)–(ज) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नहीं है, एंव तृतीय पक्ष से संबंधित गोपनीय सूचना संबंधी नियम के पुस्तक का अवलोकन करने बाबत् अनुरोध किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को सूचना का अधिकार विधि (सूचना का अधिकार अधिनियम का अद्यतन, विश्लेषणात्मक एंव बिन्दुवार विवेचन) प्रथम संस्करण पुनर्मुद्रित वर्ष 2015, श्री आर. पी. कटारिया के द्वारा लेखांकन पुस्तक का अवलोकन कराया गया, जिससे वह संतुष्ठ हुए।

अतएव अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हें वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा नियम का हवाला देकर जानबुझ कर उपलब्ध नही करायी गई है, जो निराधार एवं तथ्यहीन है। प्रकरण से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।

जहॉ तक अपील का प्रश्न है उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी श्री जनक लाल श्रीवास्तव का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है। अतः अपील प्रकरण क्रमांक 05/2016 दिनांक 18.02.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –5/2016/ 25 रायपुर, दिनांक 05/02/2016

प्रतिलिपिः–

1. श्री जनक लाल श्रीवास्तव श्याम नगर कालोनी, तिल्दा, पोष्ट –नेवरा जिला–रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
2. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबंधक (मा.सं.)–छः छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC) छ. रा. वि. वि. कं. मर्या. रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइड में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य,
सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,प्रथम तल,
शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235, 2444151

अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700